न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती निशा सहारण (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 202/2022 (2022/202)

1. सजना देवी पत्नि मंगलचन्द
2. निशा पुत्री मंगलचन्द
3. नाबालिग देवेन्द्र पुत्र मंगलचन्द जरिये सरंक्षक सरपस्त माता सजना देवी सर्व जाति अहीर (यादव) सर्व निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र भंवरलाल
2. भगवान पुत्र भंवरलाल
3. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भंवरलाल सर्व जाति अहीर (यादव) सर्व निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
5. उपपंजीयक महोदय, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
6. बैंक ऑफ इंडिया जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

उपस्थितः– वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर
वकील अप्रार्थी श्री परमानन्द शर्मा

दिनांक 10/2/2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण आशा है परन्तु वाद में समय लगना स्वभाविक है इस कारण प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदार व कब्जे काश्त की संयुक्त आराजी ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 527 रकबा 1.0517 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 548 रकबा 1.4724 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.5241 हैक्टेयर भूमि है। जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, अधिकार अभिलेख में इन्द्राज है। उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसमे प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 वाद वर्णित आराजी में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त होकर मौके पर उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य मौके पर काबिज काश्त है परन्तु उपरोक्त आराजी का अधिकार अभिलेख व राजस्व ट्रेस में विधिक विभाजन नहीं होने से आराजी में बुवाई, जुताई, हकाई, निराई, गुडाई, के समय मेड, नींव, सींव को लेकर मनमुटाव हो जाता है जिससे सामाजिक वातावरण खराब हो जाता है जिससे सामाजिक समरसता का विघटन होता है, प्रार्थीगण द्वारा कई मर्तबा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को सहमती के आधार पर अप्रार्थी संख्या 4 के समक्ष उपस्थित होकर विभाजन चाहा गया परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा सन्तोषपूर्वक जवाब नहीं देने से माननीय न्यायालय के समक्ष विभाजन / बंटवारे कि डिक्री प्राप्त करने हेतु वाद पेश करना आवश्यक हुआ है जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के हिस्से को अलग से राजस्व ट्रेस में निहित हिस्से कि तरमीम एवं खसरा, रकबा, एवं जमाबन्दी अलग से

विवाद उत्पन्न नहीं होगा। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य उपरोक्त वर्णित जी का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी (By mets & Bound) के सिद्वान्त के आधार अधिकार भिलेख व राजस्व ट्रेस में अलग–अलग विधिक विभाजन होकर अलग–अलग तरमीम व रकबा, खसरा, लगान अलग–अलग निर्धारित होने पर सीमा, मेड़ बाबत् विवाद का निस्तारण हो सकता है इसलिए प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में विभाजन (बंटवारा) की डिक्री प्राप्त करने हेतु वाद पेश करना आवश्यक हुआ हैं। दिनांक 06.11.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा मौके पर कुछ भू–माफियां गिरोह से मिलकर अवैध गुट तैयार करके प्रार्थीगण को उपरोक्त हिस्से से बेदखल कर अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा हो गये एवं प्रार्थीगण के साथ नींव, सींव, मेड़ बाबत् आये दिन विवाद करते रहते है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 एवं प्रार्थीगण के बीच सामाजिक सम्बन्ध खराब होने की पूर्ण आशंका बनी रहती है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी देते है उक्त आराजी से तुम्हे बेदखल कर देगे एवं अतिचार, अतिक्रमण करके अन्य दिगर व्यक्ति को बैचान, हस्तान्तकरण कर देगे, इस कारण अप्रार्थीगण का अवैध कृत्य को रोका जाना अतिआवश्यक हैं इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि प्रार्थीगण के अधिकार अभिलेख में इन्द्राज हिस्से अनुसार काबिज हिस्से में कृषकिय कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें एवं मौके से बेदखल नहीं करे एवं प्रार्थीगण के हिस्से पर अतिचार, अतिक्रमण नहीं करने एवं बिना विधिक विभाजन के अन्य दिगर व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना अतिआवश्यक है। प्रथम दृष्ट्या, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है चूंकि प्रार्थीगण सहखातेदारी की आराजी में अपने हिस्से पर कब्जा काश्त, उपयोग–उपभोग करते आ रहे है अप्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक रूप से अवैध कृत्य करके प्रार्थी को मौके से बेदखल कर अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा कर अन्य दिगर व्यक्ति को बैचान, हस्तान्तरण करने पर उद्वत्त है अप्रार्थीगण अपने अवैध मन्सुबे में कामयाब हो जायेगे तो प्रार्थी को अपुर्तनीय क्षति कारीत होगी जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से किया जाना सम्भव नहीं होगा। अप्रार्थी संख्या 4 भू–धारी होने से विभाजन के वाद में आवश्यक पक्षकार है चुंकि भू–धारी होने से माननीय न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय व डिक्री का अधिकार अभिलेख में इन्द्राज किया जाता है, व अप्रार्थी संख्या 5 पंजीयन अधिकारी होने से पक्षकार कायम किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 6 के समक्ष रहन दर्ज होने से पक्षकार कायम किया गया है। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदार व कब्जे काश्त की संयुक्त आराजी ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 527 रकबा 1.0517 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 548 रकबा 1.4724 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.5241 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व इसके नौकर, चाकर, एजेन्ट, रिश्तेदार एवं विधिक प्रतिनिधि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की प्रार्थीगण का उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान में अधिकार अभिलेख में अंकित हिस्से में कृषकिय कार्य में किसी प्रकार से मदाखलत् उत्पन्न नही करे, उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नहीं करें, प्रार्थीगण को मौके से बेदखल नहीं करे एवं प्रार्थीगण के हिस्से पर अतिचार, अतिक्रमण नहीं करे एवं बिना विधिक विभाजन के उपरोक्त वर्णित आराजीयात को बैचान, हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अर्थात ताफैसला मूल वाद मौके व रिकार्ड की यथा स्थिती बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाये जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 09.11.2022 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 202/2022 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण को नोटिस वास्ते जाहिर करने हेतु जारी किये गये। दिनांक 15.12.2022 को अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की ओर से वकील श्री परमानन्द शर्मा द्वारा जवाब पेश किया जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 के तथ्यों में प्रार्थीगण के द्वारा माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पत्र पेश करने बाबत तथ्य स्वीकार हैं, शेष तथ्य गलत व निराधार होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण के द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर व सही तथ्यो को छिपाकर वाद पेश किया गया हैं इस कारण प्रार्थीगण को वाद पत्र में सफलता मिलने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 के तथ्य उक्त पेरा में वर्णितानुसार सही नही होने से अस्वीकार हैं। ग्राम पाटन, पटवार हल्का पाटन, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 527 रकबा 1.0517 हैक्टेयर, खसरा संख्या 548 रकबा 1.4724 हैक्टयेर कुल किता 2 का कुल रकबा 2.5241 हैक्टेयर भूमि मैं जवाबकर्ता संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, जवाबकर्ता संख्या 2 का 1/6 हिस्सा व जवबाकर्ता संख्या 3 का 1/6 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा,

संख्या 2 का 1/6 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा निहित होकर सयुक्त खातेदारी भूमि हैं जिसका अंकन राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में हो रखा हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व जवाबकर्तागण का सयुक्त रूप से कब्जा काश्त नही हैं, ना ही प्रार्थीगण व जवाबकर्तागण के द्वारा सयुक्त रूप से उक्त भूमि का मौके पर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थीगण व जवाबकर्तागण के मध्य उक्त भूमि का मौके पर विभाजन हो रखा है तथा प्रार्थीगण व जवाबकर्तागण का अलग अलग कब्जा हैं एवं वर्षों से अलग अलग काश्त कर रहे हैं। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 के तथ्यों में प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण व जवाबकर्तागण की सयुक्त खातेदारी में होने बाबत तथ्य स्वीकार हैं, शेष तथ्य गलत व निराधार होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण व जवाबकर्तागण का उक्त भूमि पर सयुक्त रूप से कब्जा काश्त नही हैं। प्रार्थीगण व जवाबकर्तागण अलग अलग काबिज होकर उक्त भूमि पर अलग अलग काश्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण व जवाबकर्तागण के द्वारा सयुक्त रूप से काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार हैं।प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 4 के तथ्य उपरोक्तानुसार सही नही होने एंव गलत व निराधार होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण व जवाबकर्तागण की सयुक्त खातेदारी की भूमि होकर उक्त का राजस्व रिकोर्ड में अंकन हो रखा हैं परन्तु प्रार्थीगण व जवाबकर्तागण प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर अलग अलग काबिज होकर अलग अलग काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीगण व जवाबकर्तागण के मध्य उक्त भूमि पर अलग अलग काश्त करने पर कभी भी किसी तरह का कोई वाद विवाद नही हुआ हैं, ना ही कभी मनमुटाव हुआ हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक वातावरण खराब होने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं। प्रार्थीगण के द्वारा कभी भी उक्त भूमि का विभाजन हेतु जवाबकर्तागण को नही कहा गया हैं। इस कारण जवाबकर्तागण के द्वारा असन्तोष पूर्वक जवाब दिये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। प्रार्थीगण के द्वारा दूसरो के बहकावे में आकर दुर्भावना आशय से जवाबकर्तागण के विरूद्ध गलत रूप से वाद पेश किया गया हैं एवं गलत रूप से प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण को प्रश्नगत प्रार्थना पत्र व वाद पेश करने का किसी तरह का कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ हैं। प्रार्थीगण के द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र व वाद, वाद कारण उत्पन्न हुये बगैर पेश किये जाने के कारण प्रार्थीगण का प्रश्नगत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य हैं। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 5 के तथ्य उपरोक्तानुसार सही नहीं होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का प्रार्थीगण व जवाबकर्तागण के मध्य काफी समय पूर्व बंटवारा होकर प्रार्थीगण व जवाबकर्तागण अलग अलग काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। जवाबकर्तागण द्वारा कब्जे का कोई प्रयास किया है, ना ही जवाबकर्तागण के द्वारा प्रार्थीगण को कभी भी किसी तरह की कोई धमकी दी गई हैं. ना ही जवाबकर्तागण की अपने हिस्से की भूमि को बेचान करने की किसी तरह की कोई इच्छा हैं। ऐसी स्थिति में बेचान करने की धमकी दिये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थीगण के द्वारा जवाबकर्तागण के सन्दर्भ में अपमानजनक व कलंकित करने की नियत से तथ्य अंकित किये गये हैं जिनमे में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। जवाबकर्तागण उक्त भूमि के सह खातेदार हैं। प्रार्थीगण, जवाबकर्तागण सहखातेदार के विरूद्ध किसी तरह का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 7 के तथ्य गलत व निराधार होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में जवाबकर्तागण सह खातेदार/सह स्वामी हैं। जवाबकर्तागण सह खातेदार/सह स्वामी होने के कारण प्रार्थीगण के पक्ष में किसी तरह का कोई प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु नही हैं। जवाबकर्तागण के द्वारा कभी भी किसी तरह का कोई अवैध कृ त्य नहीं किया गया हैं, ना ही जवाबकर्तागण के द्वारा किसी तरह का कोई अवैध कृत्य करने का प्रयास किया गया हैं। जवबाकर्तागण का मुख्य पेशा ही कृषि कार्य हैं ऐसी स्थिति में जवबाकर्तागण के द्वारा भूमि को बेचान करने की धमकी देने का प्रयास करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। प्रार्थीगण, जवाबकर्तागण के द्वारा भूमि को बेचान करने की धमकी देने बाबत तथ्य गलत व मनगढन्त रूप से लिखे गये हैं। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में जवाबकर्तागण का हिस्सा निहित होकर जवबाकर्तागण सह खातेदार / सह स्वामी हैं। प्रार्थीगण, जवाबकर्तागण सह खातेदार / सह स्वामी के विरूद्ध किसी तरह का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाने की कृपा करावे। अप्राथी संख्या 06 की ओर से वकील श्री जाकिर हुसैन उपस्थित हुये। दिनांक 03.02.2025 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण अप्रार्थी संख्या 02, 04, 05, 06 का जवाब बन्द किया

उपखण्ड अधिकारी

तथा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराया गया।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र का धारा 212 राज.का.अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार विवेचन किया गयाः–

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– जमाबन्दी के अवलोकन से ताईद है कि जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 उक्त भूमि में प्रार्थीया सहखातेदार है तथा वादअधीन भूमि में प्रार्थीया का हक निहित है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है।

सुविधा का संतुलनः– वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण सहखातेदार है तथा धारा 53 राज. का.अधि. के अनुसार प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा होता है एवं वादअधीन भूमि संयुक्त खातदेारी की है, जिससे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

अपूरणीय क्षतिः– यदि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द नहीं किया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द कर मौके की स्थिती में परिवर्तन कर दिया गया तो अपूरणिय क्षति प्रार्थीगण को कारित है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी कृषि भूमि ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तहसील किशनगढ़ के वर्तमान खसरा संख्या 527 रकबा 1.0517 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 548 रकबा 1.4724 हैक्टैयर भूमि में प्रार्थीगणों के हक हिस्से तक मौके यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थीगणों को उनके हिस्से तक की भूमि से बेदखल नहीं करें एवं प्रार्थीगणों के कृषि कार्य में मदाखलत नहीं करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10/2/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)